भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में " लोंड्री पर्यवेक्षक" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में **"लोंड्री पर्यवेक्षक"** पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपत्तिधारक, यदि वें चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई कर मेल-हैं। सकते

प्रेम नारायण

(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23062032

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2021

सा.का.नि. . . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विलिंग्डन अस्पताल और नर्सिंग होम (श्रेणी III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध लॉन्ड्री पर्यवेक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में लॉन्ड्री पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, लॉन्ड्री पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद), (संशोधन) भर्ती नियम, 2021 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लॉन्ड्री पर्यवेक्षक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	अचयन।	22 से 27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।	क. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। ख. हाउस कीपिंग तथा लॉन्ड्री संचालन में डिप्लोमा। ग. लॉन्ड्री कार्य में लगी किसी सरकारी या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन में लॉन्ड्री कार्य का दो वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री और लॉन्ड्री कार्य में लगी किसी सरकारी या प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन में लॉन्ड्री कार्य का 6 माह का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति:	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में	यदि विभागीय पुष्टि समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में

किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नतिः** डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऐसे बॉइलर अटेंडेंट जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो सरकारी लॉन्ड्री में दो वर्ष का अनुभव रखते हों तथा स्टोर लेखा कार्य का ज्ञान हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी; क (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 में पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) जो स्तंभा 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।	विभागीय पुष्टि समिति, पुष्टि पर विचार करने के लिए : (i) अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; (ii) विभागाध्यक्ष (लॉन्ड्री), डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; (iii) उप निदेशक प्रशासन, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; (iv) उप निदेशक (एमएच), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	लागू नहीं होता।

[ए.11018/45/2019-एमएच II]

(प्रेम नारायण)
अवर सचिव, भारत सरकार